

## Shri Varshney College Aligarh

List of B.Com-I Year (COMMERCE)

Category: Phy.Handi -OBC (2024-25)

प्रवेश सूची में अधिकारी का चयन उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये योग्यताओं के आधार पर किया गया है। निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर प्रवेशार्थी स्वयं उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करायें। नियत तिथि व समय पर उपस्थित न होने की दशा में उनके प्रवेश पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश सूची के अंत में दिये गये हैं। अधिकारी उनका गहनता से अध्ययन कर पालन करना सुनिश्चित करें।

Last Date of Admission: 12-07-2024

Last Date of Fee Deposit: 14-07-2024 (till 11:59 PM)

Admission Date		Admission Time		Place of Admission		
10-07-2024 TO 12-07-2024		10.30 am to 02.00 pm		DEPARTMENT OF COMMERCE		
Sr No	App No.	Student Name	Father Name	Category	Merit	
1	SVC244263	KAJAL KUMARI	RAMESHWAR SINGH	OBSC(Phy.)	88.53	

### आवश्यक निर्देश

- सभी अधिकारी के लिये साक्षात्कार / प्रवेश के समय योग्यता सबकर्त्ती सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है।
- यदि अधिकारी आरक्षित श्रेणी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है। कुछ अधिकारीयों के नाम उनके द्वारा अकित श्रेणी पर आरक्षित वर्ग में समिलित कर लिया गया है लेकिन उनके द्वारा प्रवेश के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में उनका नाम आरक्षित वर्ग में समिलित नहीं किया जायेगा।
- यदि अधिकारी विकलांग हैं तो मुख्य शिक्षिताधिकारी या चिकित्साधिकारी या विकलांगता प्रमाण पत्र मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है।
- टी०सी० (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) व टी०सी०सी० (वारित प्रमाण पत्र) मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है।
- एक फोटो (पासपोर्ट साइज) व एक फोटो (टिकिट साइज) का साथ लाना अनिवार्य है।
- वेब-रजिस्ट्रेशन (जो कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विंडिंग अलीगढ़ का हो) एवं आधार कार्ड की छाया प्रति अनिवार्य रूप से सलझ करनी होगी, अन्यथा उनको प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- यदि सत्यापन के समय योग्यताक में कोई त्रुटी पायी जाती है तो संशोधित योग्यताक के अनुरूप ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में अनिमित्त प्रवेश समिति का ही होगा।
- यदि किसी अधिकारी का नाम नियमानुसार प्रवेश सूची में आना चाहिए या किन्तु किसी कारणवश प्रवेश सूची में नाम नहीं आ पाया है तो उसका प्रार्थना पत्र मय साक्ष के प्रस्तुत करना होगा तथा परीक्षण में सत्य पाये जाने पर उसका नाम आगामी प्रवेश सूची में नियमानुसार समिलित किया जायेगा।
- किसी भी वालित प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश अनुमत्य नहीं किया जायेगा। किसी भी दशा में ऐसे अधिकारी का नाम आगामी सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।
- अधिकारी को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात निर्धारित तिथि के अंदर शुरू औन्नलाइन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका प्रवेश पूर्ण नहीं माना जायेगा।

11. निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने की दशा में भविष्य में भी उसके प्रवेश पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

### नोट :

- (1) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अधिकारी अपने अध्यर्थन के लिये प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
- (2) प्रवेश से सबक्षमित सम्पूर्ण अधिकारी महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है।
- (3) सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के नियमानुसार ही सम्पन्न होगी।

प्राचार्य

श्री वाण्णीय महाविद्यालय, अलीगढ़